

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (पी-385/2011)/अलेसे-11/11854-55 दिनांक :- 11.3.15

कार्यालय आदेश

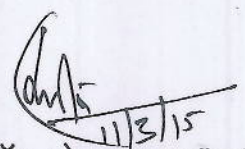
सुश्री पूनम आर्य, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (मेरिट नं 385/2011 लिंक नं. 9665) कार्यालय महाप्रबन्धक (वित्त) रुफडिको, जयपुर के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 9109 दिनांक 05.02.2015 के साथ प्रेषित आवेदन पत्र में की गई अनुशंसा के क्रम में दिनांक 10.07.2014 से 07.08.2014 तक (29 दिवस) एवं 11.08.2014 से 21.08.2014 तक (11 दिवस) का राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09.08.2014 एवं 10.08.2014 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त अवकाश की सुश्री पूनम आर्य की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से प्रविष्टि अंकित करावें।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (पी-385/2011)/अलेसे-11/11854-55 दिनांक :- 11.3.15

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महाप्रबन्धक (वित्त) रुफडिको, जयपुर।
2. सुश्री पूनम आर्य, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, महाप्रबन्धक (वित्त) रुफडिको, जयपुर।
3. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/रक्षित पत्रावली।


(डॉ० नोपाराम पारीक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

प्रतिलिपि कम्प्यूटर द्वारा प्रेषित है।